बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 12.11.2026

सं0सं0–16/टी.1–09/2015 – 1648 – (आ०चि०)/स्वा०/डा० रीना कुमारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना को बिहार कोषागार संहिता–2011 के नियम 84 के तहत की दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना के स्थापना का निकासी एव व्ययन पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–16/टी.1–09/2015– 1648 – (आ0चि0)/पटना, दिनांक–12.11.2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पातल, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाइ, पटना/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–डा० रीना कुमारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/11/2026
सरकार के अवर सचिव